131

माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

= = == == = = = ====== =: === == =

कैम्प सागर संभाग सागर

==== = ===== = == = = = = = = = ======

प्रकरण संख्या/- वर्ष 2017

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू-रा/2017/4441

बालकदास ढीमर तनयजनकिया ढीमर आयु वर्ष निवासी ग्राम लछमनपुरा नायबी बडागांवखास तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ========== आवेदक

बनाम

1/- महिला जानकीबाई लोधी पत्नि स्वामी लोधी

2/- महिला मायाबाई लोधी पत्नि भागीरथलोधी

निवासीयान ग्राम लछमनपुरा तहसील वजिलाटीकमगढ़ म0 प्र0 =========अनावेदकगण

3320
7-10-17

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ जिलाटीकमगढ़म0प्र0 दिनांक 19/9/2017 जो कि प्रकरण क्रमांक 192/ अपील/2015-016 मे पारित कियागया ।

महोदय,

आवेदक अपनी पुनरीक्षण याचिका मे सादर निम्न विनय करता है :-

1/- यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि भूमिखसरानम्बर 1288/1 रकबा 0-809 हे0 स्थित ग्राम बडमाडईखास की भूमि की तरमीम किये जाने हेतु अनावेदकगण की ओर से न्यायालय अति0 तहसीलदार बडागांव के समक्ष का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 178 म0 प्र0 भू0रा0 सं0 के तहत पेशकिया गया जिस पर प्रकरण क्रमांक 35/अ-3/2013-014 पंजीबद्ध कर सुनवाईकी गयीऔर दिनांक 9-7-2014 को आदेश पारित कियागया जिस आदेश की जानकारी आवेदक को काफी समय पश्चात होने पर आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के न्यायालय मे उक्त आदेश दिनांक 9-7-014 से व्यथित होकर अपील पेश की गयी और अपील विलंब से पेश होने पर आवेदक की ओर से विधिवत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम तथा आवेदन मय शपथपत्र सहित पेश कियागया ।

2/- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की अपील पंजीबद्ध कर उसकी सुनवाई

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/4441

बालकदास विरूद्ध जानकीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
08-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 192/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 08/3/19 सदस्य	